न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
03 / 2021	08.01.2021	29.01.2021

उनवान

1. दिनेश कुमार पुत्र सुखराम जाति अहीर निवासी बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अर्न्तगत धारा 136 एल आर एक्ट

....

–: निर्णय :–

दिनांक :– 29.01.2021

उपस्थिति :–

1– श्री बस्तीराम यादव, वकील प्रार्थी

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 155 / 0.14 है0, 165 / 0.15 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है0, वाके ग्राम बावद तहसील मुण्डावर व आराजी हाल ख0 नं0 534 / 0.33 है0, 535 / 0.36 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.69 है0 व ख0 नं0 531 / 0.24 है0, 532 / 0.24 है0, 533 / 0.24 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.72 है0 व ख0 नं0 528 / 0.39 है0, वाके ग्राम लामचपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 में स्थित है। आराजी मुतनाजा वाके ग्राम बावद तहसील मुण्डावर का विरासत इन्तकाल नं0 1619 [illegible] दर्ज करते समय पटवारी हल्का द्वारा सहवन से सुखराम के वारिसान का [illegible] देवी, ज्ञानवती, सुरस्ती देवी, सुरेश, दिनेश व प्रीति पुत्री [illegible] इनका सही व वास्तविक नाम सन्तरा, ज्ञान देवी, सरस्वती देवी, सुरेश कुमार, दिनेश कुमार व प्रीती यादव होना चाहिये था तथा इनके आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, वोटर लिस्ट आदि समस्त दस्तावेजात में यही नाम अंकित है। उक्त आराजी मिन प्रार्थी की खानदानी दादालायी की आराजी है, जिसमें मिन प्रार्थी व मिन प्रार्थी के परिवार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:10:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

सदस्यों का गलत नाम दर्ज रहने से मिन प्रार्थी व परिवार को उक्त आराजी पर केसीसी लोन वगैरा से वंचित हो रहे है तथा आराजी मुतनाजा से संबंधित समस्त अधिकारों से वंचित रह रहे है। प्रार्थी राजस्व रिकोर्ड में अपना व अपने परिवार के सदस्यो को शुद्ध कराने के लिए आवेदन पेश करना लाजिमी आया है।

प्रार्थी के द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के सदस्यों का नाम उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में सन्तरा देवी, ज्ञानवती, सुरस्ती देवी, सुरेश, दिनेश व प्रीति पुत्री महेन्द्र के स्थान पर सही व वास्तविक नाम सन्तरा, ज्ञान देवी, सरस्वती देवी, सुरेश कुमार, दिनेश कुमार व प्रीती यादव दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी अप्रार्थी तहसीलदार मुण्डावर की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हुई। जांच रिपोर्ट में ज्ञानवती व ज्ञानदेवी, सुरस्ती व सरस्वती, सुरेश व सुरेश कुमार, दिनेश व दिनेश कुमार, प्रीती व प्रीती यादव एक ही व्यक्ति बताये गये। इनको दो नामों से जाना जाता है एवं इनके आधार कार्ड में ज्ञान देवी, सरस्वती, सुरेश कुमार, दिनेश कुमार, प्रीती यादव है। हाल राजस्व रिकार्ड ग्राम बावद की जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 208 में सुखराम रतीराम पुत्र सम्पत सम अहीर सा0देह खातेदार हि0 रतीराम राहिन पीएनबी शाखा शाहजहांपुर व जर्ये ना0स0 1819/26.06.18 विरासत के द्वारा सुखराम पुत्र सम्पतराम के बजाय सरस्ती देवी पत्नी व सन्तरा देवी ज्ञानमती पुत्रीयान व होशियार सिंह सुरेश दिनेश पुत्रान सुखराम हि0 6/7 सरोज देवी पत्नी व प्रीती पुत्री व सोनू पुत्र महेन्द्र हि0 1/7 दर हि0 मु0 जमा0 अहीर सा0देह स्वीकृत दर्ज रिकोर्ड होना पाया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में जमाबन्दी सम्वत 2071–74 व अन्य दस्तावेज पेश किये है जो शामिल मिसल है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड होने का निवेदन करते हुये राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी तहसीलदार मुण्डावर की मौका पर्चा जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी बरखिलाफ अप्रार्थी डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी ख0नं0 155/0.14 है0, 165/0.15 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है0, वाके ग्राम बावद तहसील मुण्डावर व आरा[illegible] है0, 535/0.36 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.69 है0 व ख0 नं0 [illegible] है0, 532/0.24 है0, 533/0.24 है0, कुल किता 3 कु[illegible] नं0 528/0.39 है0, वाके ग्राम लामचपुर तहसील मुण्डा[illegible] अलवर राज[illegible] प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के सदस्यों का नाम उक्त आरा[illegible] देवी, ज्ञानवती, सुरस्ती देवी, सुरेश, दिनेश व प्रीति पुत्री महेन्द्र के स्थान [illegible] सही व वास्तविक नाम सन्तरा, ज्ञान देवी, सरस्वती देवी, सुरेश कुमार, दिनेश कुमार व प्रीती यादव दर्ज किये जाने बाबत तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:10:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

इसी अनुरूप हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

29.1.21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्डाधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:10:23 IST
Reason: SelfAttested